श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राजस्थान) 303329

फोन नं. 01425-254022(कार्यालय) *e-mail* - dean.skncoa@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ.ए./सीएस/श्रीकनकृमवि/2022/ 5173 दिनांक : 20.01.2022

निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में दिनांक 02.02.2022 को सुबह 10.00 बजे प्रयोगशाला में काम आये हुए अनुपयोगी उपकरण जैसे ओवन, कूलर, पंखे, स्टेपलाईजर, एवरी काँटे, फोटोस्टेट मशीन, बागवानी के उपकरण/कृषि उपकरण थ्रेसर, हेरो, हल, लोहे के टेंकर, मोटर पार्ट्स, कुए की मोटर, टॉर्च, दरी, वाटर कुलर, ताले, फर्नीचर, प्लास्टिक का सामान एवं अन्य सामान जिस हालत में है, निलामी की जावेगी। विस्तृत विवरण हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.sknau.ac.in** पर देखें।

निलामी की शर्तें :-

1. बोली दाताओं को निलामी में भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। पंजीकरण शुल्क 500/- रू. होगा, और पंजीकरण शुल्क वापस नहीं लौटाई जायेगा। पंजीकरण का समय प्रातः 10.00 से दोपहर 12.00 बजे तक होगा, इसके बाद पंजीकरण नही होगा।
2. बोली लगाने से पूर्व 50,000/- रू. की डीडी/बैंकर्स चैक/नगद बतौर बोली प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। बिना प्रतिभूति राशि के बोली में भाग नहीं ले सकेगा। और प्रतिभूति राशि की **डीडी/बैंकर्स चैक'अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर'** के नाम देय होगा।यदि बोली स्वीकार नही होती है तो बोली के बाद बोली प्रतिभूति राशिकी डीडी/बैंकर्स चैक3 दिन में वापिस कर दी जावेगी।
3. निलामी की बोली पंजीकरण के तुरन्त बाद से चालू होगी, जो अंतिम बोली तक जारी रहेगी।
4. जिस पार्टी/फर्म/बोलीदाता के नाम बोली छूटती है उन्हें बोली की 50 प्रतिशत राशि उसी समय जमा करानी होगी। बाकी की रकम डीडी/बैंकर्स चैकसे तीन दिन मे जमा करवाना होगा।
5. माल जो जिस हालत में है, जैसा है, जहां है, वैसा ही दिया जावेगा।
6. यदि नीलामी की राशि माल की कीमत के बराबर नही है और कमेटी मंजूर नही करती है तो बोली लगाने वाला किसी तरह बाध्य नही कर सकेगा।
7. सभी देय टैक्स पार्टी को ही जमा करवाना होगा और रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पार्टी को माल उठाने दिया जावेगा।
8. कमेटी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
9. निलामी की अन्य शर्तें मौके पर सुनवा दी जायेगी।
10. निलामी के बाद सामान की पूर्ण जिम्मेदारी पार्टी की होगी एवं पार्टी को सम्पूर्ण सामान अन्दरमयाद तीन दिन में स्वयं के खर्चे पर उठाना होगा।
11. प्रत्येक पार्टी/फर्म की पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करानी होगी, अन्यथा बोली में भाग नहीं ले सकते।
12. बोली का न्यूनतम अन्तर 1000रू. होगा।
13. निलामी में भाग लेने वाले बोली दाताओ को कोरोना की डॉज/RT-PCR का प्रमाण पत्र पंजीकरण के दौरान दिखाना होगा अन्यथा निलामी में भाग नहीं दिया जायेगा।
14. राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करना होगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी।
15. **दो गज दुरी मास्क है जरूरी** का पालन करना अनिवार्य होगा।

20/1/22

(ए.के. गुप्ता)
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. श्रीमान् निजी सचिव माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित्त-नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर लेख है कि स्वयं/अपने नामित सदस्य को दिनांक 02.02.2022 को बाल मन्दिर महाविद्यालय परिसर में उपस्थित होने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट **www.sknau.ac.in**पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
5. कमेटी कनवीनर/सदस्य...
6. कैशियर, लेखा शाखा को भेजकर लेख है कि पार्टीयों का पंजीकरण एवं प्रतिभूति राशि डीडी जमा करने के लिए दिनांक 02.02.2022 को उपस्थित रहें।
7. समस्त सूचना पट्ट - कार्यालय/नगरपालिका मण्डल/नया व पुराना बाजार/ज्वालापोल/ डाकघर/कॉलेज परिसर/रावल नरेन्द्र सिंह मार्ग, जोबनेर।

प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार